

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बायतु

..... विरधाराम बनाम गंगाराम बौर्य

किस्म मुकदमा रा. इ. व. 111, 128 RLR Act. 325/2021 सन 2021

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/10/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्हार सिंह चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act</p> <p>राजस्थान काफ़्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/11/2021 को पेश हो।</p>	
11/11/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल हुकम तामिल प्रेषण। तामील पत्रावली के अधिकांश प्रमाण गणों के संग्रह अभिमान-2021 के लिये न चालु होने से मित्राल इल्लव होकर तामिल दिनांक-06/01/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>
06/01/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस वर्क में जारी नहीं किये गये जो जरिये रजिस्ट्रार एडो अभिमाने जाकर पत्रावली दिनांक-10/02/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10/02/2022

आधी वहील उपलब्धता विजाधीगो
के नोडिय पूर्व में जरिये रजिस्ट्र एडी
मिजवाये गये जिनकी एडी पुनः आप
नही हुई है इतज्जा एडर पभावली
डिनॉड-09/05/2022 को पेश है।

सहायक कलेक्टर (SDC)
बायतु
बडमेर

09/05/2022

आधी वहील उपलब्धता विजाधीगो
के नोडिय पूर्व में जरिये रजिस्ट्र एडी
मिजवाये गये जिनको पमाट से मिचिउ के
समय व्यवहृत के कुछ है जिनकी कोर के
डोई उपलब्ध नही हुआ लिहाजा विजाधीगो
के विरुद्ध एडतरफा डामवाही प्रमल के लार्
जाली है आधी के फाइक्ला की एडपसिब वधम
सुनी गई आधी के फाइक्ला डारा कतरफा
गया की आधी व विजाधीगो के प्यातेवारी
प्येत सेव सेह किये हुए है प्येतो के मध्य
जो पुरानी साठे व डगे किये उपर में जो
पतमान में फाइक्लो की कजट से कियर गये
हैं जिलले आधी के प्येतो की सीमाओं का पटी
साठ नही है या रहा है जिलले प्येत की
सीमाओं को लेडर आधी व विजाधीगो के
मध्य हमेशा लनाजा बना रहता है आधी के
फियने प्येत की सीमाओं का सही साठ डरने
हेड नेपमवनी डरवानी कियरपडु है समलिय
आधी का नेपमवनी कियेन स्वडिआ विधा
जाडर नेपमवनी कियेन विधा जावे।

फलः आधी फाइक्ला के निकेत

पर आधी का नेपमवनी कियेन स्वडिआ
विधा जाडर तटवीलडर डिजा को डमिशन
नियुक्त विधा जाडर कियेन डिधा जाला है

सहायक कलेक्टर (SDC)
बायतु
बडमेर

हुक्म को जारी

हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

कि हाथ रखें या अपने अधिनस्थ और
भी अब अधिलेख निरसुत से जारी है
प्यालेती खेतों की पक्की नैयामबंदी
मौजे पर इमिडानर कुलु जमा 37437 इ।
पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पञ्चावली की पञ्चावली जेमल कुमार डोडा,
इस नाम से इस की दायित्व दफ्तर की

कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

09/06/2022

आधी अधिवक्ता उपस्थित। आधी

अधिवक्ता द्वारा आधीना-पत्र पञ्चावली किज
पैकी तारीख पर तलक उर संशोधित फादेवा
इसने वाकत अनुगत विभा गण, आधी अधि-
वक्ता द्वारा अनुगत आधीना-पत्र की स्वर्सा
विभा जाइर पञ्चावली किज पैकी तारीख पर
तलक की गई आधी के अधिवक्ता द्वारा
निवेदन विभा गण की उक्त पञ्चावली में
नैयामबंदी फादेवा इरते समय खेती खेती
धूल से राजस्व ग्राम राजबेरी मलवा के
स्थान पर मालदेवा लिख्य विभा गण। जबकि
आधी का खेत राजस्व ग्राम-राजबेरी मलवा
में स्थित है इसलिए राजस्व ग्राम-मालदेवा
के स्थान पर राजबेरी मलवा लिख्यते हुए
संशोधित फादेवा विभा जाके।

अतः आधी अधिवक्ता के निवेदन

पर राजस्व ग्राम-मालदेवा के स्थान पर
राजबेरी मलवा लिख्य जाइर संशोधित फादेवा
विभा जाइर पञ्चावली पुनः दायित्व दफ्तर की

2

कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 931
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 9/6/2022
विप्रार्थीगण

1. विरधाराम पुत्र मंगलाराम,
जाति प्रजापत, निवासी राजबेरी, मलवा
पटवार मण्डल खारापार,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. गंगाराम पुत्र सुजाराम वगैरा 14,
जाति जाट, निवासी राजबेरी, मलवा
पटवार मण्डल खारापार,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 325 / 2021

संशोधित आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - राजबेरी, मलवा, पटवार मण्डल - खारापार, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 170/55, 55 रकबा क्रमशः 4.7186, 4.4192 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 932-936
प्रतिलिपि :- निम्न की सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विरधाराम पुत्र मंगलाराम,
4. विप्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र सुजाराम वगैरा 14,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जयदीशभा सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 09/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर